

19.06-19

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। यह मामलांतरकाल  
जिस आवंटन आदेश से रद्दीक किया गया है, उस आवंटन  
को निरस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र धारा 14(4) आवंटन  
निषेध 1970 के तहत इस न्यायालय में पेश किया गया  
था जिसका मुकदमा नं. 02/2016 है। उक्त प्रार्थना पत्र  
धारा 14(4) इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया  
है। अतः यह अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपील  
अपीलाबत खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति प्रमाणित  
तहसीलदार कौली को पालनाथ मय अभिलेख भिजाई  
जावे। पत्रावली केसल शुभार होकर वाउ तकमाल  
दोखिल रहत हो।



जिला कलेक्टर  
कौली